न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 105/2016 **दायर दिनांक: 23.08.2016**

उनवान

1. बद्रीलाल पुत्र मेरू जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा

– वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र राधाकिशन जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति –
वकील वादी – श्री मसूद अहमद खान
वकील प्रतिवादी सं. 1 – एकतरफा
प्रतिवादी सं 2 – पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 26.06.2025**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा मे नई खाता स. 250 व पुरानी खाता सख्या 381 को आराजीयात खसरा नं. 500 रकबा 8 बिस्वा चाही अलीफ, चाह नम्बर 503 से सिंचित, खसरा नं. 691 रकबा 6 बिस्वा चाही प्रथम चाह नम्बर 1293 से सिंचित खतरा नं.– 734 रकबा 3 बिस्वा बंजड पृथम, खसरा नं.– 1216 रकबा 8 बिसवा बारानो प्रथम खसरा नं. 1260 रकबा 15 बिसवा चाहो अलीफ चाह नम्बर 1301 से सिंचित, खसरा नं. – 1264/2022 बोड पृथम, खसरा नं. 1297 रकबा 11 बिसवा चाहो अलीफ वाह नम्बर 1301 से सिंचित खसरा नं.–1456 रकबा 8 बिस्वा चाही अलीफ चाह नम्बर 1403 से सिंचित खतरा नं.– 1764 रकबा 6 बीघा 9 [illegible] 9 कुल रकबा 12 बोधा 9 बिसवा स्थित है। [illegible] को दावे मे वादग्रस्त आराजीयात के [illegible] नकल जमाबन्दी संलग्न है। दावे को मद नं.1 में वर्णित [illegible] आराजीयात का वादी एवंम उसके बड़े भाई प्रतिवादी नं.– 1 प्रभुलाल के पिता राधाकिशन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मध्य असा करीब 40 साल पहले आपसी सहमति व स्वीकृति से विभाजन हो गया है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है वादी व प्रतिवादी के हिस्से मे आई हुई भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। वादी के हिस्से मे खसरा नं. 691 रकबा 6 बिस्वा चाही अलीफ पूरी, खसरा नं. 1260 रकबा 15 बिस्वा चाही अलीफ, पूरी, खसरा नं. 1264/2022 रकबा 4 बिस्वा बोड पृथम पूरी, खसरा नं. 1456 रकबा 8 बिसवा पूरी, चाही अलीफ खसरा नं. 734 रकबा 3 बिसवा बजँड पृथम का 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा का, खसरा नं. 1216 रकबा 8 बिसवा का 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा का खसरा नं. 1764 रकबा 6 बीघा 9 बिसवा बारानी सौयम का 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा का 1 प्रतिवादी प्रभुलाल के हिस्से में आई हुई भूमि खसरा नं. 500 रकबा 8 बिसवा चाही अलीफ पूरी, खसरा नं. 1297 रकबां 4 बिसवा चाही अलीफ, पूरी, खसरा नं. 743 रकबा 3 बिस्वा बंजंड पृथम का 1/2 हिस्ता पश्चिम दिशा का खसरा नं. 1216 रकबा 8 बिसवा बारानी दौयम का 1/2 हिस्सा पश्चिम दिशा का खसरा नं. 1764 रकबा 6 बीघा 9 बिसवा बारानी सोमम का 1/2 हिस्सा पश्चिम दिशा का। इस प्रकार उक्त आराजी विभाजन के अनुसार वादी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है और वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और उसने अपने हिस्से मे आई हुई आराजी में काफी सुधार तथा विकास कार्य किया है इसी प्रकार प्रतिवादी प्रभुलाल के हिस्से में आई हुई आराजी पर जब तक उसके पिता राधाकिशन जी जीवित रहे काश्त करते रहे उसके बाद प्रतिवादी प्रभुलात काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड मे समस्त खसरा नं. शामलाती खाते में दर्ज चले आ रहे है वादी को वृद्धावस्था है इसलिए वादी के लिए आपसी विभाजन के मुताबिक मौके पर चले आ रहे कब्जे के अनुसार विभाजन करवाकर अपना खाता अलग करवाना आवश्यक हो गया है ताकि वादी व उसके वारिसान अपनी इच्छा अनुसार अपनी आराजी में और भी विकास व सुधार कार्य स्वतन्त्रापूर्वक करवा सके ताकि कि[illegible] ना हो। वादी वादग्रस्त आराजीयात मे 1/2 हिस्से का [illegible] है तथा उसे विभाजन करवाने तथा दावे को मद नं. 2 मे दिये गये तथ्यों के अनुसार अपना खाता अलग करवाने का अधिकार प्राप्त है। वाद कारण गत सोमवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

को पैदा हुआ जब उसने प्रतिवादो से मौके पर कब्जे के अनुसार आपसो बटवारा करने व अपना अपना बाता अलग करवाने के लिए कहा तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया जिसकी वजह से वाद कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। अंतः दावा पेश है। राजस्थान सरकार को नेण्ड होल्डर होने को वजह से जरिये तहसीलदार साहब पिडावा फार्मन पार्टी बनाया गया है दावा उचित न्याय शुल्क पर पेश है। दावा माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे अवधि मध्य पेश है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार एवं डिक्री परमाया जाकर –

(अ) ग्राम धरोनिया तहसील पिडावा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किया जाकर मौके पर कब्जे के अनुसार आराजो खसरा नं. 691 रकबा 6 बिस्वा चाहो अलोफ पूरी, खसरा नं. 1260 की 15 बिस्वा चाही अलोप, पूरी, खसरा नं. 1264/2022 को 4 बिस्वा बोड पृथम पूरी 1456 की 8 बिस्वा वाहो अलीफं पूरी, खसरा नं. 734 को 3 बिसवा बजैड पृथम मे 1./2 हिस्सा पूर्व दिशा का 1216 को 8 बिस्वा में 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा का व 1764 की 6 बीघा 9 बिसवा ने 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा का वादी के अलग खाते में दर्ज करने की कृपा की जाये। एवंम खसरा नं. 500 रकबा 8 बिस्वा चाहो अलीफ, पूरी, ख.नं.–1247 रकबा 4 बिसवा चाहो अलीफ पूरी, खसरा नं. 734 रकबा 3 बिसवा मे 1/2 हिस्सा पश्चिम दिशा का खतरा नं–1216 रकबा 8 बिसवा मे 1/2 हिस्सा पश्चिम दिशा का खसरा नं.– 1764 रकबा 6 बीघा 9 बिसवा में 1/2 हिस्ता पश्चिम दिशा का प्रतिवादी नम्बर 1 प्रभुलाल के अलग खातें मे दर्ज करने की कृपा की जाये।

(ब) अन्य सहसयता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादो को प्रदान को जाये ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाद का पैरा नम्बर– 1 रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। यह कि वाद का पैरा नम्बर–2 अस्वीकार है व्यक्ति मौखिक कोई बंटवारा प्रतिवादीगण के मध्य नही हुआ था। यह कि वाद का पैरा नम्बर 3 अस्वीकार है। यह कि वाद का पैरा नम्बर 4 अस्वीकार है। यह कि वाद का पैरा नम्बर 5 अस्वीकार है। यह कि वाद का पैरा नम्बर 6 अस्वीकार है। यह

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कि वाद का पैरा नम्बर 7 अस्वीकार है। यह कि वाद की प्रार्थना अब अस्वीकार है। **विशेष आपत्तियाँ** – यह कि प्रतिवादीगण अपने हिस्से के सह खातेदार है और वादी विशेष खसरा नम्बरान का बंटवारा करवा कर अपने खाते में दर्ज करवाना चहाता है जिसका उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि कानूनन प्रत्येक खसरा नम्बरान मे से ही बँटवारा हो सकता है और वादी विशेष खसरा नम्बरान को अपने हिस्से में लेना चहाता है। इसलिए वादी का वाद खारीज होने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारीज किये जाने की कृपा करे।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम धरोनिया के खाता सं. 250 की जमाबंदी सं. 2070–73 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, इकरारनामा दिनांक 26.12.2020 प्रदर्श 2, बंटवारा प्रपत्र दिनांक 07.09.2020 की छायाप्रति, ग्राम धरोनिया के खाता सं. 263 की जमाबंदी सं. 2074–77, खाता सं. 381 की जमाबंदी सं. 2066–69 की प्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में बद्रीलाल पि. भेरूलाल, गिरिराज पि. ब्रदीलाल PW-1 to 2 के बयान कराये। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4. वाद के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु दावे एवं जवाब दावा के अवलोकन के आधार पर निम्न तनकीयात/विवाद बिन्दू कायम की गई –

तनकी (1) आया वादी अपने खातेदारी की भूमि ग्राम धरोनिया प०म० धरोनिया की वादग्रस्त आराज़ी किता 9 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का अपने कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादी

तनकी (2) आया वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से के सहखातेदार है जिससे वादी को विशेष खसरा नं. का बंटवारा करवाकर अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकार नहीं है इसलिये वाद वादी खारीज योग्य है।

– [illegible]म्मे प्रतिवादी

5. दौराने वाद स्वयं प्रतिवादी सं. [illegible] उनके अधि[illegible] के अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दि. 27.0[illegible] 1 के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छिपाबड़ौद, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

12

एकतरफा कार्यवाही की गई जिससे साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं होकर बहस एकतरफा सुनी गई। अतः प्रकरण का तनकीवार निर्णय किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान कथन किया कि राधाकिशन, बद्रीलाल पिस. भेरू जाति कुल्मी दोनो सगे भाई थे और ग्राम धरोनिया की वादग्रस्त आराजी विरासत में हि. 1/2–1/2 प्राप्त हुई थी। जमाबंदी सं. 2066–69 के अनुसार ग्राम धरोनिया की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 250 **किता 10 रकबा 10–15 बीघा भूमि** वादी बद्रीलाल हि. 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता राधाकिशन हिस्सा 1/2 की सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। पिता भेरूलाल ने अपनी वृद्धावस्था में ही वादग्रस्त आराजी का दोनो भाईयों के मध्य हिस्सा 1/2–1/2 का मौखिक पारिवारिक बंटवारा कर कब्जा सौप दिया था। आगे तर्क किया कि दोनो भाईयों के मध्य पिताजी की उपस्थिति में 40–45 वर्ष पूर्व हुए मौखिक पारिवारिक बंटवारे के अनुसार ख.नं. 691 रकबा 0–06 बीघा, 734 रकबा 0–03 बीघा में से पूर्व दिशा 0–01 बीघा, 1260 रकबा 0–15 बीघा, 1264/2022 रकबा 0–04 बीघा, 1456 रकबा 0–08 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं ख.नं. 1764 रकबा 6–09 का पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 3–04 बीघा कुल 5–02 बीघा भूमि वादी ब्रदीलाल के हिस्से एवं ख.नं. 500 रकबा 0–08 बीघा, ख.नं. 596 रकबा 1–03 बीघा, 734 रकबा 0–03 बीघा में से पश्चिम दिशा की 0–02 बीघा, 1297 रकबा 0–11 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं ख.नं. 1764 रकबा 6–09 का पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 3–05 बीघा कुल 5–13 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता राधाकिशन के हिस्से में आई थी और इसी अनुसार वेगत 40–45 वर्षो से मौके पर कब्जे काश्त चले आ रहे है **लेकिन राधाकिशन ने अपने हिस्से में आई शामलाती भूमि ख.नं. 596 रकबा 1–03 बीघा का बेचान नानूबाई पत्नि शिवनारायण को कर प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि स्वयं ने प्राप्त की थी।** राधाकिशन के फौत होने [illegible] उनके हिस्से की आराजी पर उनके वारीसान प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल [illegible] पिस. राधाकिशन, रामचन्द्रीबाई बेवा राधाकिशन हि. 1/2 कब्जे [illegible] रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

6. अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादग्रस्त आराजी के बंटवारे को लेकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 23.12.2020 को 50/– के स्टाम्प पेपर पर एक इकरारनामा हुआ था जिसे पब्लिक नोटरी करवाया गया था और दोनो पक्षों के परिवार के सदस्य भी सहमत थे। उक्त बंटवारा इकरार के अनुसार ख.नं. 691 रकबा 0–06 बीघा, 734 रकबा 0–03 बीघा में से पूर्व दिशा का 1/2, 1260 रकबा 0–15 बीघा, 1264/2022 रकबा 0–04 बीघा, 1456 रकबा 0–08 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं ख.नं. 1764 रकबा 6–09 का पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 3–04 बीघा कुल 5–02 बीघा भूमि वादी ब्रदीलाल के हिस्से एवं ख.नं. 500 रकबा 0–08 बीघा, 734 रकबा 0–03 बीघा में से पश्चिम दिशा का 1/2, 1297 रकबा 0–11 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं ख.नं. 1764 रकबा 6–09 का पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 3–05 बीघा कुल 4–10 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता राधाकिशन के हिस्से में दी गई थी। **प्रतिवादी अपने हिस्से की भूमि ख.नं. 596 रकबा 1–03 बीघा पूर्व में वर्ष 2009 में ही बेचांन कर चुके है।** उक्त इकरारनामा वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त आराजी के वर्षो पूर्व हुए मौखिक पारिवारिक बंटवारे एवं कब्जे काश्त को साबित करता है।

7. अभिभाषक वादी ने पुनः कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को लेकर दोनो पक्षो ने वर्षो से चले आ रहे पारिवारिक बंटवारे के अनुसार सहमति विभाजन हेतु तहसीलदार पिडावा के समक्ष आवेदन पेश किया था जिस पर पटवारी हल्का धरोनिया द्वारा दिनांक 07.09.2020 को आपसी सहमति बंटवारा तैयार कर भू.अभिलेख निरीक्षक धरोनिया के समक्ष पेश किया जिसे भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.09.2020 को स्वीकृत कर दिया था लेकिन बाद में किसी कारण वश तहसीलदार पिडावा द्वारा उक्त सहमति बंटवारे तस्दीक नहीं हुआ। उक्त सहमति बंटवारा दिनांक 08.09.2020 से भी साबित होता है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य इकरारनामा में उल्लेखित तथ्यों अनुसार सहमति बंटवारा हो चुका था।

8. अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादी ने 40–45 वर्ष पूर्व मौखिक पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपने हिस्से की भूमि को भूसुधार

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कार्यो से और अधिक विकसति एवं उपजाउ बनाया है और उक्त भू सुधार एवं भू विकास कार्यो पर वादी ने लाखों रूप्ये भी खर्च किये है। दोनो भाई वर्षो से अपनी अपनी भूमि पर काबिज है। वादी के भाई राधाकिशन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 के मन में बदनियति आने स`अब बंटवारा हेतु आनाकानी कर रहा है। आगे तर्क किया कि प्रतिवादी सं. 1 भी उक्त मौखिक पारिवारिक बंटवारे एवं इकरारनामा को स्वीकारता है और इसलिए न्यायालय से अनुपस्थित रहा है और एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर चाहे गए अनुतोष अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवार किया जाकर दोनो पक्षो को अपने अपने हिस्से की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

9. अभिभाषक वादी की बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम धरोनिया की जमाबंदी सं. 2066–69 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खाता सं. 381 कुल किता 10 कुल रकबा 10–15 बीघा वादी ब्रदीलाल पि. भेरू एवं उनके भाई राधाकिशन पि. भेरू हि. 1/2–1/2 की सहखातेदारी में दर्ज था। पत्रावली एवं शपथ पत्र से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी भेरूलाल कुल्मी के खाते दर्ज थी जो विरासत में वादी बद्रीलाल व प्रतिवादी सं. 1 के पिता राधाकिशन को प्राप्त हुई है। उक्त जमाबंदी में अंकित टिप्पणी के अनुसार वादग्रस्त आराजी में से **नामा.सं. 1278 दिनांक 05.08.2009** से शामलाती ख.नं. 596 रकबा 1–03 बीघा का दोनो सहखातेदारो द्वारा नानूबाई पत्नि शिवनारायण को बेचान किया गया। अतः शेष आराजी किता 9 रकबा 9–12 शामलाती दर्ज रही। **वादी द्वारा पेश एवं हल्का पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक से तस्दीक सहमति बंटवारा आवेदन दिनांक 08.09.2020 के अनुसार वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त आराजी का सहमति बंटवारा से विभाजन होना था लेकिन तहसीलदार द्वारा तस्दीक नहीं होने से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है।** उक्त सहमति अनुसार ख.नं. 691 रकबा 0–06 बीघा, 73[illegible] 0–03 बीघा में से पूर्व दिशा 0–01 बीघा, 1260 रकबा 0–15 बीघा, [illegible]/2022 रकबा 0–04 बीघा, 1456 रकबा 0–08 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं खनं. 1764 रकबा [illegible]–09 का पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 3–04 बीघा कुल 5–02 बीघा भूमि वादी ब्रदीलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(8)

हिस्से एवं ख.नं. 500 रकबा 0–08 बीघा, 734 रकबा 0–03 बीघा में से पश्चिम दिशा की 0–02 बीघा, 1297 रकबा 0–11 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं खनं. 1764 रकबा 6–09 का पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 3–05 बीघा कुल 4–10 बीघा भूमि राधाकिशन के वारीसान को प्राप्त होना था। उक्त सहमति बंटवारा आवेदन के पृष्ठ भाग पर बंटवारे अनुसार खसरा नक्शा भी बना हुआ है। वादी द्वारा पेश बंटवारा पब्लिक नोटरी इकरारनामा दिनांक 23.12.2020 के अनुसार भी वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त आराजी का पैरा नं. 9 में उल्लेखित अनुसार बंटवारा समझौता होना जाहिर होता है। वादी द्वारा पेश साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 2 गिरिराज ने अपने बयानो में कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 पभूलाल मेरे ताउजी का पुत्र है। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 596 रकबा 1–03 बीघा सहित कुल किता 10 रकबा 10–15 बीघा आराजी का बंटवारा आपसी सहमति व स्वीकृति से मेरे पिता व प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल के पिता राधाकिशन के मध्य हो चुका है और तब से लेकर आज दिनांक तक मेरे पिता बद्रीलाल के हिस्से में आई भूमि पर मेरे पिता ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे। गवाह पीडब्ल्यू 2 ने यह भी स्वीकारा है कि ब्रदीलाल व प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल ने आपसी विभाजन के मुताबिक मौके पर कब्जानुसार पटवारी हल्का एवं कानूनगो सा. से दिनांक 07.09.2020 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया था। पीडब्ल्यू 2 ने प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दिनांक 23.12.2020 को सहमति से इकरारनामा लिखाया जाना भी स्वीकार किया है। जमाबंदी सं. 2066–69 पर दर्ज नामा.सं. 1278 दिनांक 15.08.2009 के अनुसार स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पिता राधाकिशन के शामलाती खाते की आराजी ख.नं. 596 रकबा 1–03 बीघा का नानूबाई को बेचान होकर प्रथक से खाता दर्ज हो चुका है। बेचान कानूनी रूप से दोनो खातेदारो द्वारा किया गया था लेकिन मौके पर पारिवारिक बंटवारा अनुसार कब्जा प्रतिवादी सं. 1 के पिता र[illegible] वादग्रस्त पैतृक आराजी का बंटवारा इकरारनामा दिनांक [illegible] एवं पटवारी व कानूनगो के हस्ताक्षर युक्त सहमति [illegible] 08.09.2020 के अनुसार किया जाकर अपने अपने [illegible] भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

10. हस्तगत प्रकरण में पेश बंटवारा इकरारनामा दिनांक 23.12.2020 एवं पटवारी व कानूनगो के हस्ताक्षर युक्त सहमति बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.09.2020 मे दोनो पक्षो के मध्य स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर एवं नक्शा में दिशा के साथ बंटवारे एवं कब्जे का समझौता हुआ है और साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 2 के बयानो से भी खसरा नम्बर व दिशानुसार स्पष्ट बंटवारा होना जाहिर होता है। वादी के अनुतोष में भी स्पष्ट विभाजन का अंकन है। अतः प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम धरोनिया के वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में से ख.नं. 691 रकबा 0–06 बीघा, 734 रकबा 0–03 बीघा में से पूर्व दिशा 0–01 बीघा, 1260 रकबा 0–15 बीघा, 1264/2022 रकबा 0–04 बीघा, 1456 रकबा 0–08 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं ख.नं. 1764 रकबा 6–09 का पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 3–04 बीघा कुल 5–02 बीघा भूमि पर वादी ब्रदीलाल को एवं ख.नं. 500 रकबा 0–08 बीघा, ख.नं. 734 रकबा 0–03 बीघा में से पश्चिम दिशा की 0–02 बीघा, 1297 रकबा 0–11 बीघा, 1216 रकबा 0–08 में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0–04 बीघा एवं ख.नं. 1764 रकबा 6–09 का पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 3–05 बीघा कुल 4–10 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन का नोट संबंधित खातेदार के प्रथम खाते पर यथावत रहेगा।

11. . धारा 53(2) आरटीएक्ट के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को शामलाती खाते में अपने हिस्से की कृषि जोत का भूमि सुधार एवं अन्य विकास कार्यो हेतु खाता विभाजन कराने का हक व अधिकार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम धरोनिया के खाता सं. 263 की जमाबंदी सं. 2074–77 की आराजी [illegible] 2.4282 है. भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्त[illegible] आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

7

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम धरोनिया के खाता सं. 263 की जमाबंदी सं. 2074—77 की आराजी किता 9 रकबा 2.4282 है. भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम धरोनिया के वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में से ख.नं. 691 रकबा 0.0759 है., ख.न. 734 रकबा 0.0379 है. में से पूर्व दिशा 0.0126 है., ख.नं. 1260 रकबा 0.1897 है., ख.न. 1264/2022 रकबा 0.0506 है, ख.न. 1456 रकबा 0.1012 है., ख.न. 1216 रकबा 0.1012 है. में से पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0.0506 है. एवं ख.नं. 1764 रकबा 1.6314 है. का पूर्व दिशा का 1/2 भाग यानि 0.8157 है. भूमि पर वादी ब्रदीलाल को एवं ख.नं. 500 रकबा 0.1012 है., ख.नं. 734 रकबा 0.0379 है. में से पश्चिम दिशा की 0.0253 है., ख.न. 1297 रकबा 0.1391 है., ख.न. 1216 रकबा 0.1012 में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.0506 है. एवं ख.नं. 1764 रकबा 1.6314 है. का पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.8157 है भूमि प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/6/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 105/2016 दायर दिनांक: 23.08.2016

उनवान

1. बद्रीलाल पुत्र गेरू जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा

— वादी

बनाम

1. प्रभुलाल पुत्र राधाकिशन जाति कुल्मी नि. धरोनिया तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तहसील पिडावा

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति —

वकील वादी — श्री मसूद अहमद खान

वकील प्रतिवादी सं. 1 — एकतरफा

प्रतिवादी सं 2 — पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू..............X...............................

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

ग्राम धरोनिया के खाता सं. 263 की जमाबंदी सं. 2074—77 की आराजी किता 9 रकबा 2.4282 है. भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम धरोनिया के वादग्रस्त पुश्तैनी आराजी में से ख.नं. 691 रकबा 0.0759 है., ख.न. 734 रकबा 0.0379 है. में से पूर्व दिशा 0.0126 है., ख.नं. 1260 रकबा 0.1897 है., ख.न. 1264/2022 रकबा 0.0506 है, ख.न. 1456 रकबा 0.1012 है., ख.न. 1216 रकबा 0.1012 है. में से पूर्व दिशा का 1/2 [illegible] एवं ख.नं. 1764 रकबा 1.6314 है. का पूर्व दिशा [illegible] 157 है. भूमि पर वादी ब्रदीलाल को एवं ख.नं. 500 [illegible] 734 रकबा 0.0379 है. में से पश्चिम दिशा की 0.0253 है., ख.न. 129[illegible] रकबा 0.1391 है., ख.न. 1216 रकबा 0.1012 में से पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.0506

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

है. एवं ख.नं. 1764 रकबा 1.6314 है. का पश्चिम दिशा का 1/2 भाग यानि 0.8157 है भूमि प्रतिवादी सं. 1 प्रभूलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। पक्षकारान का रहन यथावत दर्ज रहेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें।

26/6/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वगारह .. ....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.06.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.02 10:33:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner